


GOVERNMENT SCHEMES AND LEGAL PROVISIONS FOR HOMELESS PEOPLE

आवास विहीन लोगों के लिए सरकारी योजनाएं तथा कानूनी प्रावधान

Manoj Singh¹, Pradeep Kumar²

¹ Research Director, Department of Geography, School of Education and Humanities, IFTM University, Moradabad, India

² Research Scholar, Department of Geography, School of Education and Humanities, IFTM University, Moradabad, India



ABSTRACT

English: Both national and international laws help homeless people in solving housing problems and human rights problems of homeless people. At the international level, the right to housing of homeless people is enshrined in the economic, social and cultural treaties of homeless people. At the national level, Indian law, especially Article 21, protects the right to life and personal liberty. Under this fundamental right, the Universal Declaration of Human Rights recognizes human dignity and includes the right to a dignified life including housing. The right to dignified housing for homeless people is also included in this. The decision of the Indian Supreme Court is also important in this regard. The following international laws are important for the protection of the rights of homeless people: 1. Universal Declaration of Human Rights 2. International Treaty on Economic, Social and Cultural Rights. The right to dignity including housing of these homeless people has been recognized in this treaty and various states have been encouraged to take the required and positive steps in relation to these homeless people.

Hindi: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानून आवास विहीन व्यक्तियों को आवास संबंधी समस्याओं तथा आवास विहीन व्यक्तियों की मानव अधिकार संबंधी समस्याओं में सहयोग प्रदान करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवास विहीन व्यक्तियों का आवास संबंधी अधिकार आवास विहीन व्यक्तियों की आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संधियों में निहित है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कानून विशेष रूप से अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है इस मूल अधिकार के अंतर्गत मानवीय अधिकारों के सार्वजनिक घोषणा पत्र में मानव गरिमा को मान्यता दी गई है तथा आवास सहित सम्मानजनक जीवन का अधिकार भी इसमें शामिल है आवास विहीन व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक आवास का अधिकार भी शामिल है इस संबंध में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी महत्वपूर्ण है आवास विहीन व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्न अंतरराष्ट्रीय कानून महत्वपूर्ण हैं 1. मानवीय अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र 2. आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि आवास विहीन इन व्यक्तियों के आवास सहित उनके सम्मानजनक अधिकार को इस संधि में मान्यता प्रदान की गई है तथा विभिन्न राज्यों से आवास विहीन में इन व्यक्तियों के संबंध में अपेक्षित और सकारात्मक कदम उठाने को प्रेरित किया गया है।

Keywords: Fundamental Rights, Central Assistance, Legal Provisions, Landless, Right to Land for People, Right to Housing, Homeless मौलिक अधिकार, केंद्रीय सहायता, कानूनी प्रावधान, भूमिहीन, लोगों को भूमि का अधिकार, आवास का अधिकार, आवास विहीन

DOI

10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.5080

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.



1. प्रस्तावना

2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 13.75 मिलियन परिवार या लगभग 65-70 मिलियन लोग शहरी झुग्गियों में रहते हैं। लेख का मुख्य उद्देश्य भारत में बेघर होने की समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध कानूनों और निवारण विधियों को बताना है। भारत के संविधान के तहत अपने नागरिकों को आश्रय प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार जो पर्याप्त आवास के अधिकार की सुरक्षा की गारंटी देता है

1) अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। फुटपाथ निवासियों के मामले (ओलिगा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है और इसका व्यापक अर्थ है, षड्सका मतलब केवल

यह नहीं है कि जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता या छीना नहीं जा सकता, उदाहरण के लिए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार मृत्युदंड लगाने और उसे लागू करने से।

2) अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को शामिल किया है और उन्हें किसी व्यक्ति की गरिमा के लिए निर्णायक कारक के रूप में मान्यता दी है। बेघर लोगों के लिए घर सुरक्षित करके किसी व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना राज्यों का दायित्व है।

उपरोक्त प्रावधानों के साथ-साथ संविधान बेघर लोगों के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपाय भी प्रदान करता है

1) अनुच्छेद 39 (1) राज्य की नीति पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों के समान अधिकार को सुरक्षित करने के लिए निर्देशित होगी।

2) अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित स्थिति सुनिश्चित करने तथा मातृत्व सहायता के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रावधान।

3) अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।

सर्वोच्च न्यायालय ने बेघरों के पक्ष में आदेश दिया पीयूसीएल बनाम भारत संघ और अन्य

वर्ष 2010 में श्रोजन के अधिकार मामले में बेघरों के बेहद चिंताजनक मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया (पीयूसीएल बनाम भारत संघ और अन्य)। खप, इसके कारण देश के सर्वोच्च न्यायालय ने शहरी बेघरों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर प्रमुख शहरी क्षेत्र में प्रति 100,000 आबादी पर कम से कम 1 आश्रय के अनुपात में आदेश पारित किया। न्यायालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि आश्रय गृह 365 दिन और 24'7 चालू रहने चाहिए, और केवल एक विशेष मौसम के लिए उपलब्ध नहीं होने चाहिए।

2. दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

- 1) हमारे समाज में विद्यमान बुराई के पहलुओं अर्थात् शहरी गरीबी को मोटे तौर पर तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता हैरू
- 2) आवासीय भेद्यता (भूमि, जल, भोजन आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच);
- 3) सामाजिक भेद्यता (लिंग, आयु और सामाजिक स्तरीकरण जैसे कारकों से संबंधित अभाव, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, शासन संरचनाओं में अपर्याप्त आवाज और भागीदारी आदि) और
- 4) व्यावसायिक भेद्यता (अनिश्चित आजीविका, रोजगार और आय के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता, अनिश्चित नौकरी सुरक्षा, अनुपयुक्त कार्य स्थितियां, आदि)।
- 5) ये कमज़ोरियाँ किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं यानी वे आपस में जुड़ी हुई हैं। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया अवलोकन ने शहरी बेघरों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों और दुर्दशा को प्रकाश में ला दिया है और यह भी घोषित करके प्रकाश डाला है कि सम्मानजनक आश्रय प्रदान करना और उससे जुड़ा अधिकार श्जीवन के अधिकारश के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो शहरी बेघरों के लिए नीति और कार्यक्रम विकसित करने के लिए एक तेज़ गति की आवश्यकता को कहता है।
- 6) आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एमएचयूपीए) ने 1997 से एक केंद्रीय प्रायोजित योजना यानी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) को लागू किया है जिसे सितंबर 2013 से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया है। 24 सितंबर, 2013 से एनयूएलएम को सभी जिला मुख्यालयों (जनसंख्या की परवाह किए बिना) और 1 लाख या उससे अधिक आबादी वाले सभी शहरों में लागू किया गया है।

3. एनयूएलएम (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)

नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2013 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत बेघरों के लिए आश्रय कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से केवल 658 आश्रय स्थल बनाए गए हैं।

देश भर में ये आश्रय गृह कुल 35,000 बेघर लोगों की सेवा करते हैं। यह 9.38 लाख की कुल शहरी बेघर आबादी का पाँच प्रतिशत भी नहीं है।

18 राज्यों में केवल 658 आश्रय गृह हैं। इनमें से पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, ओडिशा, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में एक से पांच आश्रय गृह बनाने का रिकॉर्ड बहुत खराब है।

इसके अलावा, एक अंतर्निहित पूर्वाग्रह यह भी है कि बेघर लोगों को प्रवासी माना जाता है, जिन्हें किसी तरह की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का विस्तार करके मध्यम वर्ग को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, बेघरों की समस्या को हल करने के लिए बहुत कम काम किया जा रहा है।

एनयूएलएम योजना के अंतर्गत आश्रयों के प्रकार

- 1) पुरुष आश्रय गृह: चूंकि पुरुषों की संख्या अधिक है, इसलिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकल पुरुषों के लिए आश्रय गृह बनाए जाने चाहिए।
- 2) महिला आश्रय गृह: बेघर महिलाओं और उनके बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे आश्रय गृह बनाए जाने चाहिए।
- 3) पारिवारिक आश्रय: पर्याप्त गोपनीयता और अलग कमरे वाले अलग पारिवारिक आश्रय उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- 4) विशेष आश्रय स्थल: यह देखभाल विहीन वृद्ध व्यक्तियों, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों, बीमार व्यक्तियों, स्वस्थ हो रहे रोगियों और उनके परिवारों तथा अन्य विशेष परिस्थितियों वाले व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

4. एनयूएलएम योजना की आलोचना

एनयूएलएम की मुख्य आलोचना यह है कि बेघर होने की समस्या के प्रति इस नीति का दृष्टिकोण हमेशा बेघर व्यक्ति को एक अस्थायी आश्रय प्रदान करना रहा है। इसने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि बेघर लोगों को ऐसी कोई योजना कैसे प्रदान की जाए जो उन्हें बुनियादी जीवन स्तर वाली अपनी खुद की स्थायी आवास का अधिकार दे। 80 वर्षीय बिलाल 25 साल पहले पाकिस्तान से भारत आए थे। वह अब निज़ामुद्दीन के पास एक रैन बसेरा (रात्रि आश्रय) में नियमित रूप से जाते हैं।

भारत में अभी तक ऐसा कोई कानून या नीति या आदेश नहीं आया है, जिससे बेघर लोगों को मध्यम और दीर्घकालिक आवास विकल्पों तक पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश की गई हो। उदाहरण के लिए, उन्हें सभी के लिए आवास योजना में शामिल नहीं किया गया है। खपु,

5. राज्य सरकार की पहल

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका (ई.आर. कुमार बनाम भारत संघ और अन्य) के संबंध में चल रही मुकदमेबाजी में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को अपने राज्यों में बेघर व्यक्तियों की स्थिति के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कई राज्यों ने इसका अनुपालन करना शुरू कर दिया है और बेघर लोगों के लिए आश्रय गृह और रैन बसेरा बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है।

6. बेघर होने का अपराधीकरण

बेघर लोग बेहद असुरक्षित माहौल में रहते हैं, उन्हें नहीं पता कि कब पुलिस उन्हें पीटेगी या गिरफ्तार कर लेगी या झूठे मामलों में फंसा देगी। भारत में प्रचलित कुछ कानूनों के तहत बेघर होने पर सजा का प्रावधान है। 20 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है, जो गरीबी और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के प्रति सामाजिक शर्मिंदगी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह कानून पुलिस अधिकारियों और न्यायाधीशों को उन्हें सरकारी संस्थानों में सीमित रखने की अनुमति देता है, जो स्पष्ट रूप से उनके मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। आप इस लिंक के माध्यम से भीख मांगने के कानूनों के बारे में अधिक पढ़ सकते हैं।

लीलानी फरहा- एक विशेष रिपोर्ट

पर्याप्त आवास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की विशेष प्रतिवेदक लीलानी फरहा ने अप्रैल, 2016 में भारत का दौरा किया था और उन्होंने दृढ़तापूर्वक सिफारिश की थी कि भारतीय नीति निर्माताओं को पूरी तरह से मानवाधिकारों पर आधारित नीति तैयार करनी चाहिए और उसे लागू करना चाहिए तथा यह नीति गरीबी और असमानता को मिटाने के लिए सड़कों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों पर लक्षित आवास नीति होनी चाहिए।

केस स्टडी- ई.आर. कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य

यह भारत में बेघर होने के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा मामला है।

अदालत ने राज्य/संघ शासित प्रदेशों के सचिव/प्रशासक को इस विशेष योजना के कार्यान्वयन के संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था, जिसे मुख्य सचिव/प्रशासक को सामूहिक हलफनामा दायर करने के लिए भेजा गया था और इस बीच अदालत ने आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीके ढूंढने का आदेश दिया था।

- 1) न्यायालय ने आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति गठित की थी, जो नीति को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाओं, स्कीमों और विभिन्न विभागों के सुचारू संचालन की दिशा में काम करेगी।
- 2) माननीय न्यायालय ने इस नीति के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी करने का भी आदेश दिया है। न्यायालय ने आश्रय गृहों की संख्या के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता पर भी विशेष जोर दिया है।

- 3) न्यायालय ने राज्यों पर कड़ी फटकार लगाई क्योंकि वे बेघर लोगों की संख्या कम करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं थे।
- 4) यह जनहित याचिका वर्ष 2003 में दायर की गई थी और फिर भी 2014 तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।
- 5) आश्रय स्थलों का भौतिक सत्यापन करने, संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने, आवंटन/गैर-आवंटन, निधियों के उपयोग और दुरुपयोग की जांच करने तथा समयबद्ध दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर के मार्गदर्शन में एक समिति गठित की गई है, ताकि सर्दियों के मौसम में कम से कम न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि जस्टिस कैलाश गंभीर आयोग की रिपोर्ट आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाए, ताकि केंद्र और राज्य उसका अवलोकन कर सकें और आवश्यक कार्रवाई कर सकें। यह इस विशेष मामले में नवीनतम घटनाक्रम है।

7. अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बेघर लोगों के लिए प्रावधान

1) मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत, अनुच्छेद 25 आवास के अधिकार को पर्याप्त जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में मान्यता देता है।

2) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के तहत, अनुच्छेद 11 (1) भी पर्याप्त जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए समान जीवन स्तर की गारंटी देता है।

बेघर लोगों की चिंताजनक समस्या के मद्देनजर, जो पूरे साल सड़कों, फुटपाथों और गलियों में रहते हैं और जहाँ हमारी सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्षों से जारी सख्त आदेशों और निर्देशों के बावजूद हमारे देश में मौजूद इस बुराई को समाप्त करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर पाई है। इससे बाल शोषण, यौन शोषण, सम्मान के साथ जीने के अधिकार आदि से जुड़े मानवाधिकारों का गंभीर शोषण हुआ है। हालाँकि एक नीति बनाई गई है जो सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में है जिसने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश और निर्देश जारी किए हैं, फिर भी उनके द्वारा की गई कार्रवाई बहुत धीमी रही है। समय की मांग है कि एक राष्ट्रीय स्तर की नीति बनाई जाए जिसका लक्ष्य बेघर लोगों को स्थायी आवास प्रदान करना हो, न कि वर्तमान लक्ष्य बेघर लोगों को केवल एक अस्थायी आश्रय प्रदान करना।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

<http://hirm.org.in/homelessness>.

PUCL v. Union of India and Others, W. P. (C) 196/2001.

http://nulm.gov.in/PDF/NULM_Mission/NULM_mission_document.pdf.

<http://vikaspedia.in/social-welfare/urban-poverty-alleviation-1/schemes-urban-poverty-alleviation/nulm>.

SC asks govt to upload the report on shelter for urban homeless, 2nd May 2017, The Indian Express.

<http://www.iasparliament.com/current-affairs/dealing-with-homelessness>.

India must ensure that homeless people have access to housing options, 20th August 2016, Hindustan Times.

<https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/7NULM-SUH-Guidelines.pdf>

<https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2040044>

<https://localbodies.up.nic.in/DLBGO/Shelter%20for%20urban%2002-01-2015.pdf>